न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –103/2019 (Bank Case)

पंजाब नेशनल बैंक, प्रधान कार्यालय प्लॉट नं.–04, सेक्टर 10 द्वारका, नई दिल्ली–110075 में स्थित व कार्यारत है और जिसकी शाखा कार्यालय कोटा सिटी रामपुरा बाजार, कोटा में स्थित व कार्यरत है ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री अमित लोढा पुत्र श्री सज्जन सिंह
   पताः– मकान नं. 167, आदित्य नगर, बजरंग नगर, कोटा राजस्थान ।
2. श्रीमति पदमा लोढा पत्नि श्री अमित लोढा
   मकान नं0 167, आदित्य नगर, बजरंग नगर, कोटा राजस्थन ।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अमरसिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 01.10.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पंजाब नेशनल बैंक, प्रधान कार्यालय प्लॉट नं.–04, सेक्टर 10 द्वारका, नई दिल्ली–110075 में स्थित व कार्यारत है और जिसकी शाखा कार्यालय कोटा सिटी रामपुरा बाजार, कोटा में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने दिनांक 01.03.2016 को 32,42,000/– (अक्षरेः बत्तीस लाख, बयांलिस हजार मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री अमित लोढा पुत्र श्री सज्जन सिंह की सम्पत्ति जो मकान नं.–167, आदित्य नगर, बजरंग नगर, कोटा राजस्थान पर स्थित है । जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है । जो रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 24.04.2014 से श्री अमित लोढा पुत्र श्री सज्जन सिंह के नाम है, जिसका क्षैत्रफल 116.66 वर्गगज है । जिसकी चर्तुः सीमाएं– उत्तर में– प्लॉट नं. 166, दक्षिण में–सड़क, पूरब में–सड़क, पश्चिम में– प्लॉट नं. 184 है** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 30.06.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे 32,43,473.76 (अक्षरे रूपये बत्तीस लाख, तैंयालिस हजार, चार सौ तिहत्तर रूपये छिहत्तर पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.05.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 08.07.2019 को नोटिस भीं प्रेषित किये गये, जो अप्रार्थी को तामिल हुआ, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 08.07.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, जो अप्रार्थी को तामिल हुआ, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 08.07.2019 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, जो अप्रार्थी को तामिल हुए, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्री अमित लोढा पुत्र श्री सज्जन सिंह की सम्पत्ति जो मकान नं.—167, आदित्य नगर, बजरंग नगर, कोटा राजस्थान पर स्थित है । जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है । जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.04.2014 से श्री अमित लोढा पुत्र श्री सज्जन सिंह के नाम है, जिसका क्षेत्रफल 116.66 वर्गगज है । जिसकी चर्तुः सीमाएं— उत्तर में— प्लॉट नं. 166, दक्षिण में—सड़क, पूरब में—सड़क, पश्चिम में— प्लॉट नं. 184 है** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है, तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner